ग्राम पंचायत डमटाल, विकास खण्ड इन्दौरा जिला काँगड़ा, हि• प्र• –176403 के अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023 के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

भाग–एक

1. **(क)प्रस्तावना**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत डमटाल, विकास खण्ड इन्दौरा, जिला काँगड़ा हि0 प्र0 के अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा प्रथम बार किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक व ग्राम रोजगार सेवक कार्यरत रहे :–

प्रधान:–

क्र•स•	नाम	अवधि
1	श्री जीत राम	01.04.2021 से 31.03.2023

सचिव :–

क्र•स•	नाम	अवधि
1	श्री विपन कुमार	01.04.2021 से 31.03.2023

तकनीकी सहायक :–

क्र•स•	नाम	अवधि
1	श्री गौरव शर्मा	01.04.2021 से 31.03.2023

ग्राम रोजगार सहायक :–

क्र•स•	नाम	अवधि
1	श्री रणजीत सिंह	01.04.2021 से 31.03.2023

(ख) **गम्भीर अनियमितताओं का सार**

ग्राम पंचायत डमटाल के अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:–

क्र0 सं0	पैरा सं॰	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4(ग)	रोकड़ बही व बैंक के अन्त शेषों में अन्तर पाया जाना	0.38
2	5.1	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	30.00
3	6.1	पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.80
4	6.3	विवाह पंजीकरण शुल्क का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.06
5	7.1	क्रय किये गये सामान की स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति व खपत दर्ज न करना।	14.38
6	7.2	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक का क्रय करना	2.88
7	7.3	खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों से रॉयल्टी की कटौती न करना	0.72
8	8	दोहरा व गलत भुगतान करना	0.54
9	9	बैंक प्रभार के रूप में की गई कटौती की प्रतिपूर्ति न करना	0.03
10	10	माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करना	11.00

भाग–दो

2. वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत डमटाल के अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023 के लेखों का प्रथम वर्तमान अंकेक्षण श्री प्रवीन कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक व श्री दीपक सिंह पठानियां, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 13.12.2023 से 16.12.2023 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में किया गया। आय व्यय की विस्तृत जाँच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्वः स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया:–

वर्ष	आय	व्यय
2021–22	06/2021	12/2021
2022–23	03/2023	05/2022

अस्वीकरणः—वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹6400/— आंका गया है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला—171009 को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा/अ.वृ.का./2023/—270 दिनांक 16.12.2023 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया।

4.1 (क).वित्तीय स्थितिः—

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ.वृ.का./2023/—267 दिनांकः 13.12.2023 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 के लेखों की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट—1** में भी दिया गया हैः—

1.स्वः—स्त्रोतः—

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कॉलम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कॉलम 4—5)
1	2	3	4	5	6
2021—22	0	3305309	3305309	2817094	488215
2022—23	488215	1853144	2341359	1662384	678975

2.अनुदानः—

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कॉलम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कॉलम 4—5)
1	2	3	4	5	6
2021—22	0	3837588	3837588	1544667	2292921
2022—23	2292921	4454401	6747322	3746776	3000546

कुल योग (1+2) 678975+3000546 = **3679521**

(ख) बैंक समाधान विवरणी

ग्राम पंचायत की दिनांक 31.03.2023 को रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति से **₹36,79,521/-** तथा बैंक खातों/हस्तगत राशि के अन्तशेष ₹37,17,622/– से सम्बन्धित बैंक समाधान विवरणी निम्नानुसार है:–

	बैंक खातों की विवरणी:–			
क्र0 सं0	**विवरण**	**बैंक**	**खाता**	**अन्त शेष (₹)**
1	स्वःस्त्रोत/तीसरा वित्त/वी.के.वी. एन.वाई/एस.डी.पी/एस.डी.आर. एफ/14वाँ वित्त,जेड पी,पी.एस/	कैनरा बैंक डमटाल	5138101002366	704587
2	एन.जी.टी	कैनरा बैंक डमटाल	5138101002428	201592
3	15वाँ वित्तायोग	कैनरा बैंक डमटाल	5138101002367	2811443
4	हस्तगत शेष			0
बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2023 का कुल योग:				₹3717622
दिनांक 31.03.2023 को बैंक समाधान विवरणी :–				
रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति के अनुसार (पैरा 4) अन्तशेष:–				₹3679521
पंचायत के बैंक खातों का दिनांक 31.03.2023 का अन्तशेष:–				₹3717622
अन्तर:–				38101

नोट:– अंतर का कारण पंचायत द्वारा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना

(ग) रोकड़ बही का बैंक खातों के साथ नियमानुसार मिलान न करने के कारण ₹0.38 लाख का अन्तर पाया जाना:–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत डमटाल द्वारा हि• प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7(3) व 10(1) की अनुपालना में बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की गई थी, जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31.03.2023 को रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹38,101/- का अन्तर बैंक में अधिक शेष के रूप में है। जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा–4 में दिया गया है।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2023/267 दिनांक: 14.12.2023 द्वारा अनुरोध किया गया,

जिसके उत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 13 दिनांक 16.12.2023 द्वारा दिया गया कि बैंक समाधान विवरणी तैयार करके अन्तर का मिलान कर दिया जायेगा।

अतःइस बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए तदानुसार वर्तमान में अन्तर का शीघ्रातिशीघ्र मिलान करके अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करके तथा बैंक एंव रोकड़ बही का मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(घ) लेखा खाता/खाताबही तैयार न करनाः–

हि• प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 29(1 से 3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप–7 में लेखा खाता/खाता बही तैयार करने का प्रावधान है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अंकेक्षण अवधि की खाताबहियाँ/लेखा खाते तैयार नहीं किए गए थे। अंकेक्षण अवधि की खाताबहियाँ/लेखा खाते तैयार न करने के कारण वर्तमान अंकेक्षण के दौरान इस तथ्य की पुष्टि सम्भव न हो सकी कि किस–किस कार्य हेतु कितनी–कितनी राशि प्राप्त हुई व किस–किस कार्य पर कितना–कितना व्यय हुआ है तथा किस कार्य को पूरा किया जा चुका है। यह एक गम्भीर अनियमितता है। इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2023/269 दिनांकः 15/12/2023 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 13 दिनांक 16.12.2023 द्वारा अवगत करवाया गया कि वर्तमान समय से खाताबहियाँ/लेखा खाते तैयार किये जा रहे है। प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया है।

अतः अंकेक्षण अवधि की खाताबहियाँ/लेखा खाते तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा अंकेक्षण अवधि की खाताबहियाँ/लेखा खाते तैयार करते हुए भविष्य में भी खाताबहियाँ/लेखा खाते तैयार किये जाने सुनिश्चित किये जाये व कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

(ङ) खाता–क व खाता–ख का रख–रखाव अलग–अलग न रखनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार नियम 3 में दर्शाई सहिंता सख्या 01 से 50 में वर्णित आय पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत माने जायेंगे और ऐसी आय के लिये पंचायत निधि खाता–क खोला जायेगा। इसी तरह नियम 3 में दर्शाई सहिंता संख्या 51 से 99 में वर्णित आय सहायता अनुदान विशेष प्रयोजनों के लिये आबंटित निधियां और प्राप्त ऋण हेतु खाता–ख खोला जायेगा। इसके अतिरिक्त निदेशक पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पी.सी.एच–एच.ए (5) सी (15) –(13) (एल)

5–47005–81 दिनांक 15.02.2012 के अनुसार स्कीम वाईज खाते खोले जाने का प्रावधान है।

ग्राम पंचायत डमटाल द्वारा स्वः स्त्रोत व अनुदान राशि का खाता–क व खाता–ख अलग अलग से तैयार नहीं किया गया था बल्कि स्वः स्त्रोत व अनुदान की, एन.जी.टी व 15वां वित के अतिरिक्त सयुंक्त रोकड़ बही लगाई गई थी तथा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार स्वःस्त्रोत, तीसरा वित,वी.के.वी.वाई.एन, एस.डी.पी, एस.डी.आर.एफ,14वां वित व जेड पी आदि शीर्षो के अन्तर्गत प्राप्त अनुदानों तथा सभा निधि के लिये नियमों एंव निर्देशों के विरूद्ध एक खाता 5138101002366 खोला गया था, जो पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है। जोकि नियमो के विपरीत है। इस अनियमितता के कारण किसी व्यय के दो बार भुगतान होने तथा धन के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नही किया जा सकता।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2023/269 दिनांकः 15.12.2023 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 13 दिनांक 16.12.2023 द्वारा दिया गया उत्तर कि भविष्य में खाता–क व खाता–ख का अलग–अलग अनुसंधारण कर दिया जायेगा।

अतः नियमानुसार रोकड़–बही स्कीमवार खातों का रख–रखाव न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में खाता–क व खाता–ख के अनुरूप रोकड़ बही एवं खातों का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

5.1 अनुदान की राशि ₹30 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जानाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशियों को फंडिग एजेन्सी की अपेक्षाओं एवं मार्गदर्शन अनुसार निर्धारित उद्देश्य हेतु व्यय किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2023/–267 दिनांक 13.12.2023 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत सूचना जो कि [redacted]1 व [redacted]2 पर संलग्न है, के अनुसार दिनांक 31–03–2023 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से ₹30,00,546/– की राशि उपयोग हेतु शेष थीः–

क्र0सं0	अनुदान का नाम	दिनांक	राशि (₹)
1.	एन.जी.टी	31.03.2023	238495
2	15वाँ वित्तायोग	31.03.2023	2762051
		कुल जोड	3000546

उपरोक्त तथ्य स्पष्ट करते हैं कि उक्त शीर्षों के अन्तर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा सरकार द्वारा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त

करने से यह पंचायत पीछे है। विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था परन्तु ऐसा न होने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है।

अतः अनुदान राशि को अंकेक्षण अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए उक्त राशि को नियमानुसार निर्धारित उद्देश्यों हेतु व्यय करना सुनिश्चित किया जाए तथा तदानुसार कृत अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र अवगत करवाया जाये।

5.2 प्राप्त अनुदान के लिये रसीदें जारी न करना:–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5(1 से 3) के अनुसार पंचायत को किसी भी स्त्रोत अथवा तरीके से प्राप्त आय/अनुदान के लिये इन नियमों में दिये गये प्रारूप–3 मे रसीद जारी करनी आवश्यक है। ग्राम पंचायत के लेखों के अंकेक्षण में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त अनुदान राशियों विशेषकर आर.टी.जी.एस./ऑनलाइन बैंक प्राप्तियों के लिए किसी भी प्रकार की रसीद जारी नहीं की गई है। इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

5.3 अनुदान रंजिस्टर का रख–रखाव न करना :–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 61(1) के अंतर्गत उल्लेखित फार्म 21 के अनुसार अनुदान रजिस्टर का संधारण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा अनुदान रजिस्टर का रख–रखाव नहीं किया गया था जिसके अभाव में प्रस्तुत अनुदानों की वितीय स्थिति का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका। अतः भविष्य में नियमों के अनुसार रजिस्टर तैयार एवं अद्यतन(Update) करके समस्त प्राप्त अनुदान व अनुदान राशि से किये गये व्यय का लेखाकंन अनुदान रजिस्टर में करने उपरांत अंकेक्षण की सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

6.1 सम्पति कर/गृहकर की ₹0.80 लाख की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना :–

हि0प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 100 तथा हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 के अनुसार पंचायत द्वारा सम्पति कर/गृहकर की वसूली की जानी अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां /2023/–267 दिनांकः 13/12/2023 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत निम्न तालिका व **परिशिष्ट–"3"**

में दिये गये विवरणानुसार सम्पति कर /गृहकर की मद में ₹79,800/– की राशि दिनांक 31.03.2023 को वसूली हेतु शेष थी, जिससे स्पष्ट है कि पंचायत अपने राजस्व की उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है। सम्पति कर/गृहकर की वसूली न करने से उस पर अर्जित ब्याज से होने वाले लाभ से भी पंचायत को वंचित होना पड़ा।

वित्तीय वर्ष	**अथशेष**	**परिवार**	**गृहकर वार्षिक दर**	**मांग**	**योग**	**प्राप्ति**	**वसूली हेतु शेष राशि ₹**
2021.22	0	987	40	39480	39480	0	39480
2022.23	39480	1008	40	40320	79800	0	79800
नोटः– दिनाँक 31.03.2023 को बकाया सम्पति कर/गृहकर की राशि ₹ 79800/– है।							

अतः पंचायत राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों की तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली प्राथमिकता के आधार पर प्रतिवर्ष की जानी सुनिश्चित की जाए तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

6.2 गृहकर मांग व संग्रहण रजिस्टर तैयार न करना :–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम के नियम 33 व 77 के अनुसार फार्म 10 पर पंचायत के गृहकर की मांग व एकत्रीकरण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित है।

पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत के गृहकर मांग व एकत्रीकरण रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था अथवा अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके अभाव में **परिशिष्ट "3"** पर दर्शाए दिनांक 31.03.2023 का सम्पति कर/गृहकर के रूप में वसूली हेतु शेष राशि की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी।

अतः गृहकर मांग एवं संग्रहण रजिस्टर तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व शीघ्रातिशीघ्र इसे तैयार करना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाये।

6.3 विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹0.06 लाख की वसूली न करना :–

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या–SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 के अनुसार विवाह के पंजीकरण हेतु ₹ 200 (सामान्य) व आई.आर.डी.पी/बी.पी.एल. के लिये ₹ 25 पंजीकरण शुल्क व 30 दिनो के बाद 90 दिनो के भीतर ₹400(सामान्य) से व ₹ 50 आई.आर.डी.पी/बी.पी.एल से प्रति विवाह पंजीकरण शुल्क वसूल करके सरकारी कोष में जमा करवाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान विवाह शुल्क रजिस्टर के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार 29 विवाह पंजीकृत किये गये ,जिस हेतु ₹200/400 की दर से कोई राशि नहीं वसूली गई, जबकि उक्त वर्णित दरो के अनुसार ₹6400 वसूल किये जाने अपेक्षित थे:–

क्र0सं0	नाम	विवाह दिनांक	पंजीकरण दिनांक	वसूली योग्य राशि (₹)	वसूली गई राशि (₹)	कम वसूली गई राशि(₹)
1.	रजनीश कुमार	10-02-2021	25-02-2021	200	0	200
2	राम लुभाया	16-04-2021	28-04-2021	200	0	200
3	राहुल चौहान	29-04-2021	07-05-2021	200	0	200
4	सूरज कुमार	25-04-2021	07-05-2021	200	0	200
5	दीपक कुमार	24-04-2021	08-05-2021	200	0	200
6	चंद्र कुमार	30-04-2021	12-05-2021	200	0	200
7	नरेंद्र कुमार	08-05-2021	22-05-2021	200	0	200
8	अशीष शर्मा	20-06-2021	02-07-2021	200	0	200
9	सनी लोधी	19-07-2021	22-07-2021	200	0	200
10	कालू थापा	04-07-2021	22-07-2021	200	0	200
11	विकास	12-07-2021	22-07-2021	200	0	200
12	अभिनंदन	03-07-2021	22-07-2021	200	0	200
13	राजेश कुमार	17-07-2021	29-07-2021	200	0	200
14	विशाल कुमार	14-08-2021	28-08-2021	200	0	200
15	अनिल कुमार	20-10-2021	03-11-2021	200	0	200
16	रामेश्वर	07-11-2021	19-11-2021	200	0	200
17	मलकीत कुमार	11-11-2021	22-11-2021	200	0	200
18	वीरू थापा	21-11-2021	03-12-2021	200	0	200
19	संजीव कुमार	13-12-2021	26-12-2021	200	0	200
20	अमनदीप	11-11-2021	31-12-2021	200	0	200
21	सौरव	22-01-2022	10-02-2022	200	0	200
22	दिल बहादुर	20-02-2022	02-03-2022	200	0	200
23	हरीश शर्मा	28-02-2022	10-03-2022	200	0	200
24	आकाश	20-02-2022	05-03-2022	200	0	200

25	जितेंद्र कुमार	09-10-2022	29-10-2022	200	0	200
26	मन्नत	14-12-2022	---	400	0	400
27	लियाकत अली	21-02-2023	04-03-2023	200	0	200
28	युधवीर	09-02-2023	---	400	0	400
29	हीरा लाल	14-02-2023	---	400	0	400
	जोड़			**6400**	**0**	**6400**

उक्त वसूली न करने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2023/269 दिनांकः 15/12/2023 के अन्तर्गत सचिव ग्राम पंचायत डमटाल के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 13 दिनांक 16.12.2023 द्वारा अवगत करवाया गया कि बकाया विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली करके सरकारी कोष में जमा करवा दी जायेगी।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासनानुसार उक्त देय राशि की वसूली अविलम्ब करते हुये सरकारी कोष में जमा करना सुनिश्चित की जाए तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

6.4 विवाह पंजीकरण के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने बारे:–

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या–SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 के अंतर्गत विवाह रजिस्टेशन शुल्क निर्धारित दर से प्राप्त की जानी अपेक्षित है तथा जिसे समय–समय पर वसूल करने के उपरान्त विवाह पंजीकरण अधिनियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या ''0235–00–800–03'' में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत डमटाल द्वारा निम्न विवरणानुसार वर्ष 2021–22 व 2022–23 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था:–

क्र0सं0	वित्तीय वर्ष	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि (₹)
1.	2021–22	1800
2	2022–23	4600
	जोड	6400

उक्त विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2023/269 दिनांकः 15/12/2023 के अंतर्गत सचिव ग्राम पंचायत डमटाल के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रतिउत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 13 दिनांक 16/12/2023 द्वारा स्पष्ट किया गया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि सरकारी कोष में जमा करवा दी जाएगी।

अतः अंकेक्षण को दिये गये आश्वासनानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

7.1 क्रय किये गये सामान राशि ₹14.38 लाख का स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति व खपत से सम्बन्धित लेखांकन न होनाः—

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 72(1) (ए.बी.सी.डी.) के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किये गए भण्डार का उसकी स्थायी व अस्थायी प्रकृति के अनुरूप प्रारूप 25,26,27 व 28 में लेखांकन किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत डमटाल के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 तक के दौरान की गई खरीद के वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट–"4"** पर संकलित राशि **₹14,37,582/–** के स्टॉक को क्रय उपरान्त स्टाक रजिस्टरों में दर्ज नहीं किया गया था, जिससे क्रय हेतु कृत व्यय का पूर्ण अंकेक्षण संभव न हो सका, फलस्वरूप स्टोर/स्टॉक की दुरूपयोग एवं लीकेज की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2023/269 दिनांकः 15/12/2023 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 13 दिनांक 16.12.2023 द्वारा अवगत करवाया गया कि वर्तमान समय से स्टॉक प्रविष्टियाँ की जा रही है। प्रस्तुत उतर संतोषजनक नहीं पाया गया है।

अतः संलग्न परिशिष्ट में वर्णित स्टोर/स्टॉक का सम्बन्धित रजिस्टरों में प्राप्ति व खपत का लेखांकन न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुये क्रय किये गये सामान का इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित किया जाए व भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति को रोका जाये तथा कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को शीघ्रातिशीघ्र अवगत करवाया जाये।

7.2 निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹2.88 लाख के स्टॉक का क्रय करना:–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) के अन्तर्गत पंचायत द्वारा किये जाने वाले व्यय से सम्बन्धित निविदा आदि औपचारिकताएं प्रावधित हैं।

ग्राम पंचायत डमटाल के व्यय वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट–"4"** में दिए गए विवरणानुसार ₹2,87,608/– का व्यय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है।

उपरोक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2023/269 दिनांकः 15/12/2023 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युतर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 13 दिनांक 16.12.2023 द्वारा सूचित किया गया भविष्य में औपचारिकताओं को पूर्ण करके सामान क्रय किया जायेगा। प्रत्युतर संतोषजनक नहीं पाया गया है।

अतः इस सम्बन्ध में तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की कार्योतर स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाते हुये नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

7.3 खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों से रॉयल्टी की कटौती न करने फलस्वरूप सरकारी कोष को ₹0.72 लाख की राजस्व हानि :–

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल नियम 2015 के नियम 81 व 81–ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास फॉर्म डब्ल्यू या सप्लीमेंटरी पास फॉर्म एक्स उपलब्ध करवाना अनिवार्य है। अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निर्धारित दरो से रॉयल्टी का भुगतान 25 प्रतिशत पेनल्टी के साथ करना होगा।

ग्राम पंचायत द्वारा संलग्न **परिशिष्ट–"5"** अनुसार चयनित माह के वाउचरों के तहत निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु आपूर्तिकर्ताओं से खनन सामग्री जैसे रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि की आपूर्ति पर उक्त ट्रांजिट पास फॉर्म अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए थे। परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को ₹71600/– का अनियमित भुगतान किया गया था।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2023/269 दिनांकः 15.12.2023 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 13 दिनांक 16.12.2023 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में आपूर्ति बिलों से रॉयल्टी की राशि की कटौती कर ली जायेगी। दिया गया उत्तर अंकेक्षणापत्ति के अनुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं है। क्योंकि ट्रांजिट पास फॉर्म को उपलब्ध न करवाने की स्थिति में आपूर्तिकर्ता को खनन सामग्री की राशि का भुगतान रॉयल्टी की कटौती 25 प्रतिशत पेनल्टी सहित करने के पश्चात किया जाना अपेक्षित था।

अतः उक्त किये गये अनियमित भुगतान को या तो समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके हिमाचल प्रदेश सरकार के आय लेखा शीर्षक "0853" नॉन फैरस माइनिंग एवं मेटोलोजिकल इंडस्ट्रीज उप–शीर्ष "102" मिनरल कन्सेशन फीस किराया एवं रॉयल्टीस "81"खनिज फीस रियायत आदि में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये। पूर्वोक्त मामलों के अतिरिक्त अंकेक्षण अवधि में क्रय की गई निर्माण सामग्री हेतु रॉयल्टी की राशि की संस्था/विभागीय स्तर पर समुचित गणना कर उसकी भी वसूली उचित स्त्रोत से करके कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8 ₹0.54 लाख का दोहरा व गलत भुगतान करने बारेः–

व्यय चयनित माह 12/2021 के वाउचरों का अवलोकन करने पर पाया गया कि अनुदान एन.जी.टी के अंतर्गत रोकड़ बही पृष्ठ स0 02, वाउचर स0 5 ,दिनांक 29.12.2021 को मै0 मनोज कुमार सप्लायर डमटाल को उसके बिल स0 37 दिनांक 23.12.21 को मिट्टी भरपाई का ₹54000/– का भुगतान किया दर्शाया गया था। परन्तु इस अनुदान के खाता स0 5138101002428 की बैंक पास बुक में दिनांक 29.12.2021 द्वारा ₹54000 की दो बार निकासी की गई थी। जबकि इससे संबन्धित न तो कोई दूसरा वाउचर और न ही कोई रोकड़ बही में कोई प्रविष्टि पाई गई थी। यह एक गम्भीर अनियमितता है।

इस अनियमितता के संदर्भ में तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2023/268 दिनांकः 15.12.2023 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 13 दिनांक 16.12.2023 द्वारा स्पष्ट किया गया कि अधिक भुगतान की गई राशि की संबंधित संविदाकार/फर्म से वसूली कर ली जायेगी।

अतः उक्त दोहरे भुगतान का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुये उक्त अधिक व गलत भुगतान की गई राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9 बैंक प्रभार के रूप में ₹3156/—की कटौती की प्रतिपूर्ति न करनाः—

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 व भारत सरकार, वित मंत्रालय, Department of Revenue Central Board of Direct Taxes, Circular No.16/2020 F.No.370142/35/2019-TPL-Pt No 16/2020 दिनांक 30.08.2020 के प्रावधानानुसार डिजिटल बैंक व्यवहार जैसे भीम, यू.पी.आई,क्यू आर कोड,आधार पे, डेबिट कार्ड, नैफट, आर.टी.जी.एस इत्यादि (Digital mode of payment such as BHIM UPI,QR Code,Aadhar Pay, certain Debit cards,NEFT,RTGS etc.) पर बैंक प्रभार देय नहीं है।

अंकेक्षण के दौरान बैंक खातों के अवलोकन पर पाया गया कि निम्नविवरणानुसार पंचायत द्वारा केनरा बैंक में संचालित विभिन्न बैंक खातों में बैंकिग व्यवहार पर बैंक द्वारा **₹3156** के रूप में विविध बैंक प्रभार लगाए गये थे जोकि नियमानुसार देय नहीं थेः—

अनुदान	बैंक	खाता संख्या	अवधि	बैंक प्रभार
स्वःस्त्रोत/तीसरा वित्त/वी.के.वी.एन.वाई/एस.डी.पी/एस.डी.आर.एफ/14वाँ वित्त,जेड.पी,पी.एस	केनरा बैंक डमटाल	5138101002366	2021—22	1856
			2022—23	816
एन.जी.टी	केनरा बैंक डमटाल	5130101002428	2021—22	256
			2022—23	228
जोड				**3156**

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2023/269 दिनांकः 15.12.2023 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 13 दिनांक 16.12.2023 द्वारा सूचित किया गया बैंक द्वारा कटौती करने बारे बैंक से पत्राचार करके प्रभारित राशि की प्रतिपूर्ति कर ली जायेगी।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासनानुसार इस सन्दर्भ में पूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

10 ₹11/– लाख के निर्माण कार्यों की माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करने बारेः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 79(2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह के व्यय वाउचरों के समर्थन में निम्न विवरणानुसार राशि ₹10,99,929/– के निमार्ण कार्यों की माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे किये गये व्यय पूर्ण अंकेक्षण संभव न हो सकाः–

क्र0सं0	अनुदान	वाउचर संख्या/दिनांक	निर्माण कार्य का नाम	राशि (₹)
1	एन.जी.टी	01–06/15.12.21,22.12.21,23.12.21,29.12.21,31.12.21	Development of Land SLWM Plant Damtal	323746
2	जेड पी/पी.एस/14वां वित	47,48,52,53,57/04.12.21,25.12.21,15.12.21,22.12.21	निर्माण मोक्षधाम शमशानघाट वार्ड–6	171734
3	जेड पी/पी.एस/14वां वित	49,50,54/04.12.21,10.12.21,15.12.21	निर्माण स्टोर ग्राम पंचायत डमटाल	98732
4	जेड पी/पी.एस/14वां वित	51/15.12.21	मुरम्मत गली मेन गली से मोहा के घर तक	10500
5	जेड पी/पी.एस/14वां वित	55/15.12.21	मुरम्मत गल्ली मेन गल्ला से मोहन के घर तक	14050
6	जेड पी/पी.एस/14वां वित	58/23.12.21	मुरम्मत नाली गल्ली से राकेश महाजन के घर तक	35754
7	जेड पी/पी.एस/14वां वित	59,61/23.12.21,29.12.21	मुरम्मत गल्ली मेन गल्ली से दीपक के घर तक	26446
8	जेड पी/पी.एस/14वां वित	60/23.12.21	नि0 सीवरेज पाईप हीरा लाल के घर से चरणजीत के घर तक	14302
9	पी.एस	09/11.05.22	मुरम्मत एम्बुलेस रोड मेन चौक से	36112

			अन्दरून डमटाल	
10	एस.डी.आर.एफ	10/11.05.22	नि0 लिंक रोड अन्दरून डमटाल से पानी की सप्लाई तक वार्ड–1	148379
11	सभा निधि	11/1/20.05.22	नि0 जीरो वेस्ट मैनेजमेंट शेड SLWM पलांट डमटाल	14400
12	14वां वित	01/20.05.22	ठोस एवं तरल कचरा प्रबधन	20400
13	एन.जी.टी	02/06.05.22	निर्माण शेड SLWM पलांट डमटाल	185374
			कुल योग	1099929

उक्त निर्माण कार्यों की माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे सचिव ग्राम पंचायत डमटाल से अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2023/269 दिनांकः 15/12/2023 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 13 दिनांक 16/12/2023 द्वारा स्पष्ट किया गया कि आगामी अंकेक्षण में माप पुस्तिकाओं को प्रस्तुत कर दिया जायेगा। प्रत्युतर संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः संबंधित माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत न कर पाने का औचित्य स्पष्ट करते हुये अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये।

11 निर्माण कार्यों से सम्बन्धित विसंगतियां:–

निर्माण कार्यों से सम्बन्धित वाउचर नस्तियों में उपलब्ध बिल/वाउचरों की नमूना अंकेक्षण जाँच उपरान्त तथा पैरा संख्या "10" में दिखाये गये व्यय के अनुसार निर्माण कार्यों के सन्दर्भ में पाया गया कि निर्माण कार्य निष्पादन हेतु हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 में प्रावधित नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही है। इन बिलों में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई हैं:–

1. नियम 96(1) की अनुपालना में अनुभागी/संकर्म समिति नहीं बनाई गई थी जिसके साथ निर्धारित समयावधि के भीतर कार्य निष्पादन हेतु पंचायत द्वारा उक्त नियमावली के "परिशिष्ट – ई" में दिए गए "अनुबन्ध" प्रारूप में अनुबन्ध हस्ताक्षरित किया जाना अपेक्षित था।

2. हि• प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के उप नियम 93 (1) (ए) के अनुसार ग्राम पंचायत को प्रत्येक निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु सहभागी समिति का गठन करना अनिवार्य है ताकि निमार्ण कार्यों में पारदर्शिता स्थापित की जा सके। अंकेक्षण अवधि के अंतर्गत ग्राम पंचायत डमटाल द्वारा निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु सहभागी

समिति का गठन नहीं किया गया व सभी कार्य सहभागी समिति के अनुमोदन के बिना स्वंय करवाए गए है, जोकि पंचायती राज अधिनियम 2002 के अध्याय– ग्यारह के नियम 93 की अवहेलना है।

3. किसी भी योजना में निर्माण सामग्री आपूर्ती के बिलों को कनिष्ठ अभियन्ता/तकनीकी सहायक द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था जिसके कारण किये गये भुगतान की प्रमाणिकता संदिग्ध हो जाती है।

4. निर्माण कार्यो के बिलों के भुगतान के समय पंचायत द्वारा नियमानुसार टी.डी.एस, रॉयल्टी की अपेक्षित कटौती नहीं की थी।

इन अनियमितताओं बारे अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2023/269 दिनांकः 15.12.2023 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत डमटाल को अवगत करवाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 13 दिनांक 16.12.2023 द्वारा सूचित किया गया कि वतर्मान समय से इन नियमों की अनुपालना की जा रही है।

अतः उपरोक्त नियमों की अवहेलना किये जाने बारे उचित स्पष्टीकरण के अतिरिक्त भविष्य हेतु नियमानुसार कार्य करना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

12 नियमों की अवहेलना करते हुए महत्वपूर्ण अभिलेखों का अनुरक्षण न करना :–

हि• प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि• प्र• पंचायती राज सामान्य नियम 34 के अन्तर्गत प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख/रजिस्टरों का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2023/267 दिनांकः 13.12.2023 के कमांक 9 में मांगी गई जानकारी के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव कार्यालय पत्र संख्या 13 दिनांक 16.12.2023 द्वारा दी गई सूचना तथा पंचायत के लेखों की नमूना अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का पंचायत द्वारा अनुरक्षण नहीं किया गया था अथवा अनुरक्षण में नियमों की अवहेलना की गई थी, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:–

क्र0सं0	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म . संख्या	सन्दर्भित नियम
1.	निवेश रजिस्टर	01	12
2.	वर्गीकृत सार	8	29(4)
3.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	09	30

4.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	---	7(3) एवं 10(1) तथा "प्रारूप–5" के आरम्भ में दी गई टिप्पणी
5	मांग व प्राप्ति रजिस्टर	**10**	**33 व 77**(4)
6	वार्षिक बजट नियमों की अवहेलना करते हुये पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में ही दर्ज किया गया है।	11	37
7	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
8	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
9	निर्माण कार्य रजिस्टर	....	103
10	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1) ए बी
11	पंचायत प्रतिनिधियों एवं सहायक कर्मचारियों को दिये जाने वाले मानदेय/वेतन का रजिस्टर	....	....
12	निर्माण कार्यों की खण्ड विकास अधिकारी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृतियों का रजिस्टर	31	95(1)

उपरोक्त महत्वपूर्ण अभिलेख को अनुरक्षित न किए जाने अथवा अनुरक्षण में नियमों की पूर्ण पालना न करने बारे वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने के अतिरिक्त अब प्राथमिकता के आधार पर इन अभिलेख का अनुरक्षण किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

13. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करनाः–

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **73** के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा नियमानुसार कभी भी प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था। जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका।

अतः समय–समय पर स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। यह एक गम्भीर अनियमितता है।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2023/–267 दिनांक: 13.12.2023 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 13 दिनांक 16.12.2023 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में भौतिक सत्यापन करवा लिया जायेगा। प्रत्युतर तर्कसंगत प्रतीत नही होता है।

अतः इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

14 **लघु आपति विवरणिका:–** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई।

15 **निष्कर्ष:–** लेखों के रख–रखाव में हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियमों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही है जिस कारण से लेखाओं के रख–रखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।

12 MAR 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
का0/प्रति हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

1217 – 1221

पृष्ठांकन संख्या: फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)386/2024–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड इन्दौरा, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।
पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत डमटाल, विकास खण्ड इन्दौरा, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

12 MAR 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
का0/प्रति हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

ANNEXURE -1 पैरा संख्या - 4(क)

FINANCIAL POSITION OF GP DAMTAL FOR THE YEAR 2021-22 & 2022-23

1 OWN SOURCES

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2021-22	0	3305309	3305309	2817094	488215
2022-23	488215	1853144	2341359	1662384	678975

2 GRANTS-IN-AID

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2021-22	0	3837588	3837588	1544667	2292921
2022-23	2292921	4454401	6747322	3746776	3000546

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Damtal
Dev. Block Indora (Kangra) H.P.

ANNEXURE -2 पैरा संख्या -5.19

FINANCIAL POSITION OF GP GRANTS- IN- AID OF DAMTAL FOR THE YEAR 2021-22 & 2022-23

SR.NO	PARTICULARS	YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
1	SBM	2021-22	0	0	0	0	0
		2022-23	0	181390	181390	181390	0
2	NGT	2021-22	0	1701541	1701541	904263	797278
		2022-23	797278	611127	1408405	1169910	238495
3	15TH FIN	2021-22	0	1495643	1495643	0	1495643
		2022-23	1495643	2316997	3812640	1050589	2762051
4	MGNREGA	2021-22	0	640404	640404	640404	0
		2022-23	0	1344887	1344887	1344887	0

J.A.

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Damtal
Dev. Block Indora (Kangra) H.P.

(परिशिष्ट–"3" पैरा सख्यां "6.1" के सन्दर्भ में)

कार्यालय ग्राम पचांयत डमटाल विकास खण्ड इन्दौरा जिला कांगडा हि0प्र0 –176403

दिनांक 31–03–2023 को ग्राम पंचायत में वसूली हेतु शेष सम्पति कर/गृहकरः–

पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवारों की कुल संख्याः 2021–22 में 987 तथा 2022–23 में 1008 परिवारों का रु 40/– प्रति परिवार प्रतिवर्ष की दर सेः–

वितीय वर्ष	अथशेष	परिवार	गृहकर वार्षिक दर	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि ₹
2021–22	0	987	40	39480	39480	0	39480
2022–23	39480	1008	40	40320	79800	0	79800
	नोटः– दिनाँक 31.03.2023 को बकाया गृहकर की राशि ₹ 79800/– है।						

Panchayat Sec.
Gram Panchayat Damtal
Dev. Block Indora (Kangra) H.P.

परिशिष्ट–" 4 "

ग्राम पंचायत डमटाल विकास खण्ड इन्दौरा, जिला कांगडा हिमाचल प्रदेश स्टॉक/स्टोर की कय की गई सामग्री की प्रविष्टियां भंडार पुस्तिकाओं में न करना, औपचारिकताओं को पूर्ण किये विना स्टॉक/स्टोर कय करना। पैरा संख्या– " 7.1 " में संदर्भित।

अनुदान	वौ.स./ दिनांक	समाग्री का विवरण	विल.स./ दिनांक	मात्रा/रेट	आपूर्तिकर्ता	राशि ₹	टिप्पणी
1.एन.जी.टी	05/29.12.21	मिटटी भरपाई	37/23.12.21	225cu3@240	मै0 मनोज कमार सप्लायर ग्रेन मार्केट डमटाल	54000	निविदा
2.14वां वित	52/15.12.21	ब्रिक	919/29.12.21	700@7.62	मै0 चिनार टेडिग कम्पनी तलवाडा	5334	स्टॉक प्रविष्टि, निविदा
3.15वां वित	53/15.12.21	सरिया (18% GST के साथ)	204/निल	650kg@55.93	मै0 अतुल अशीष इंडस्टीज जी.टी.रोड डमटाल	42900	निविदा
4.सभा निधि	11/11.5.22	स्टेशनरी	107/निल	-	मै0 अभय ऑफसेट प्रिन्टर इंदौरा	4096	स्टॉक प्रविष्टि
5.एन.जी.टी	02/06.05.22	सीटस पाईपस पाईपस एम.एस.बारस कटिंग भील प्री पेन्टडै(18% GST के साथ)	167/06.05.22	65KGS@88.98 910KGS@69.92 85KGS@67.37 22.40KGS@50 02PCS@150 720KGS@111.86	मै0 आगरा टेडिग कम्पनी जी.टी.रोड डमटाल	6825 75080 6757 1322 354 95036	स्टॉक प्रविष्टि, निविदा
6.मनरेगा	निल/21.05.22	रेत बजरी	21–25/12.11.21	29cu3@1300 104cu3@1200	मै0 मनोज कमार सप्लायर ग्रेन मार्केट डमटाल	37700 124800	स्टॉक प्रविष्टि
9.मनरेगा	निल/21.05.22	रेत बजरी	26–27/17.11.21	24cu3@1300 12cu3@1000	मै0 मनोज कमार सप्लायर ग्रेन मार्केट डमटाल	31200 12000	स्टॉक प्रविष्टि
10.मनरेगा	निल/21.05.22	रेत बजरी	48–55,57–60/28.03.22	60cu3@1300 48cu3@1000 60cu3@1200	मै0 मनोज कमार सप्लायर ग्रेन मार्केट डमटाल	78000 48000 72000	स्टॉक प्रविष्टि
11.मनरेगा	निल/21.05.22	सीमेंट बैग	09311से 09314/15.03.22	480@357.54	मै0 हि.प्र.सिविल सप्लाई कंदरोडी	171620	स्टॉक प्रविष्टि
12.मनरेगा	निल/21.05.22	इंटरलाक टाईल्स	05,6,8/16.11.21	6800@16.50	मै0 ओम इंटरप्राइजेज मलोट नुरपूर	112200	स्टॉक प्रविष्टि
13.मनरेगा	निल/21.05.22	इंटरलाक टाईल्स	026 से 030,032,036/12.03.22	21000@16.50	मै0 ओम इंटरप्राइजेज मलोट नुरपूर	346500	स्टॉक प्रविष्टि
14.मनरेगा	निल/21.05.22	इंटरलाक टाईल्स	33,35,37 से 41 /14.03.22	12652@16.50	मै0 ओम इंटरप्राइजेज मलोट नुरपूर	208758	स्टॉक प्रविष्टि
				कुल जोड		1534482	

23

Panchayat Sec.
Gram Panchayat Damtal
Dev. Block Indora (Kangra) H.

परिशिष्ट– 5

ग्राम पंचायत डमटाल खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों से रायल्टी की कटौती न करने से राजस्व हानि (पैरा–"7.3" के सन्दर्भ में)

क्र.	आपूर्तिकर्ता का नाम	वो0स0 / दि0 / वि0स0	मद का नाम	मात्रा (cft/ sq.ft)	मात्रा (Cu.m)	निर्धारित फैकटर	मात्रा मी0टन (MT)	रोयल्टी प्रति (MT)	राशि (₹)
	2021–22								
	अनुदान –एन.जी.टी ,14वां वित								
1.	मै0 मनोज कमार सप्लायर ग्रेन मार्केट डमटाल	03,4,48,54,55,61 / 23.12.21,25.12.21,29.12.21 / 34,35,29,33,32,36	रेत बजरी बोल्डर	– – –	53 64 –	1.62 1.52 2.24	85 97 –	80 80 80	6800 7760
								जोड	14560
								पेनल्टी 25 %	3640
								जोड	18200
	2022–23								
	अनुदान –14वां वित,नरेगा								
2.	मै0 मनोज कमार सप्लायर ग्रेन मार्केट डमटाल	01,निल / 20.05.22,21.5.22 / 02,21–27,48–55,57–60	रेत बजरी बोल्डर	– – –	117 226 –	1.62 1.52 2.24	190 344 –	80 80 80	15200 27520
								जोड	42720
								पेनल्टी 25 %	10680
								जोड	53400
								कुल जोड(1+2)	71600

Panchayat Se.
Gram Panchayat Domtal
Dev. Block Indora (Kangra) H.